190

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद रामपुर।

कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन्स रामपुर–244901 कण्ट्रोल रूम:9454418545, 9454418381, 9999993038: E-mail-Cforpr@gmail.com

पत्र संख्याः स-25/सीएफओ/(स्कूल)/2020

दिनांक:अक्टूबर– 03, 2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
अकाल एकेडमी,
ग्राम तेलीपुरा, तहसील टाण्डा,
जिला रामपुर।

कृपया आपके संस्थान अकाल एकेडमी, ग्राम तेलीपुरा, पोस्ट चौखण्डी, तहसील–टाण्डा, जनपद रामपुर का आपके प्रतिनिधि के साथ अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोंण से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

भवन को निर्गत पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण– प्रश्नगत भवन को अग्निशमन विभाग के पत्रांकः स–152/सीएफओ/आरपीआर–2018 दिनांकः 30.06.2016 द्वारा पत्र निर्गत किया गया है।

उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था:– निर्मित भवन में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता–04 किग्रा0 10 अदद।

सुरक्षा निर्देश:–

1–आवेदक/स्वामी/प्रबन्धक को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के पार्ट–3 व पार्ट–4 में उल्लिखित समस्त ढ़ॉचागत एवं अग्निशमन व्यवस्था कराकर शासनादेश संख्या–1765/छः–पु0–8–2017–905(34)/2016 दिनांकः 16.02.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन किया जाना वांछनीय/अनिवार्य होगा।

2–नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के अनुसार संस्थान में सेटबैक व पहुॅच मार्ग तथा पलायन मार्ग वांछनीय है।

3–विद्यालय में होजरील, टेरिस टैंक–10,000 लीटर व टेरिस पम्प–450 एल0पी0एम0 से कनेक्ट करके अधिष्ठापित किया जाना वांछनीय है।

4–संस्थान में स्थापित/वांछनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं को कराने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय, तथा पायी गयी त्रुटियों का निवारण किया जाय।

5–प्रत्येक माह में एक बार विद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवाकुऐशन प्लान बनाय जाये, इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाय।

6–वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीव रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने के सम्बन्ध में निरीक्षण कराया जाये।

7–संस्थान में स्थापित/वांछनीय अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम, अपूर्ण एवं अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि अकाल एकेडमी, ग्राम तेलीपुरा, पोस्ट चौखण्डी, तहसील टाण्डा, जनपद रामपुर में उपलब्ध व वांछनीय एवं ढ़ॉचागत अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को कार्यशील दशा में बनाये रखने का उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा।

ह0
03/X/2020

(मतलब हुसैन)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर

डा0 मतलब हुसैन
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रामपुर

प्रतिलिपि:–

1–अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, रामपुर को सूचनार्थ।